UPFZ010005022026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908) ... एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी सं०-48/2026

[CIS Registration No.: 48/2026]

श्याम कुमार नाग आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र श्री शिवदयाल निवासी म०नं० 303 मोहल्ला महाजनी टोला थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

.......निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जनपद अयोध्या।
2. सुधीर कुमार आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र शिव दयाल निवासी म०नं० 3/2/146 मोहल्ला महाजनी टोला थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या।

...........विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता श्याम कुमार नाग की ओर से विद्वान तृतीय अपर सिविल जज, जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं० 23/2025 श्याम कुमार नाग बनाम सुधीर कुमार में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 18.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त कर दिया गया है।

2. निगरानी के तथ्य संक्षिप्त रूपसे इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता/आवेदक श्याम कुमार नाग द्वारा अवर न्यायालय में विपक्षी सुधीर कुमार के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि आवेदक के पिता शिवदयाल से विपक्षी सुधीर ने मुख्तारनामा के बदले भूमि सं०-3487, 3491 व 3493 कुल रकवा 0.158 हेक्टेयर में से 0.079 हे० अर्थात 790 वर्गमीटर से 709.45 वर्गमीटर कीमती जमीन का विक्रयपत्र जालसाजी व धोखाधड़ी से बगैर विक्रय मूल्य दिए दिनाँक 15.10.2015 को लिखा लिया और कूटरचना करके उसमें आवेदक को गवाह बनाया है। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर आवेदक ने सब रजिस्ट्रार सदर, अयोध्या से विक्रयपत्र सं०-8099 दिनाँकित 15.10.2015 की नकल प्राप्त किया और फिंगर प्रिण्ट व निशानी अंगूठा देकर विक्रयपत्र में अंकित अंगूठे के निशान की जाँच करायी, तो आवेदक का निशानी अंगूठा जाली व फर्जी पाया गया। आवेदक फिंगर प्रिण्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट जाँच के समय विवेचक को देगा। उक्त विक्रयपत्र में गवाह श्याम कुमार नाग का निशानी अंगूठा विपक्षी सुधीर कुमार व दस्तावेज लेखक सुमित कुमार सिंह ने धोखाधड़ी व जालसाजी करके कूटरचना के तहत बनाया है। विपक्षी सुधीर कुमार ने सुमित कुमार सिंह से मिलीभगत करके जालसाजी से प्रश्नगत विक्रयपत्र तैयार कराया है।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.16 16:39:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विपक्षी सुधीर कुमार ने उक्त कूटरचित दस्तावेज को निरस्त कराने से इंकार कर दिया और जमीन अधिक मूल्य पर विक्रय कर दिया। विपक्षी बार बार आवेदक को धमकी देता है तथा शिव दयाल को भी डरा धमका कर गाली गलौज दिया। आवेदक दिनाँक 21.08.2025 को आवश्यक कार्य से देवकाली गया, तो 5–6 अज्ञात लोग विपक्षी सुधीर का नाम लेकर उससे झगड़ा करने लगे और आवेदक के गोहार पर वे लोग गाली देते हुए भाग गए। आवेदक के अनुसार उसने उक्त सन्दर्भ में स्थानीय थाने पर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुआ, जिसपर उसने अवर न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना हेतु सम्बन्धित थाने को निर्देश दिए जाने के आशय से उपरोक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भा०ना०सु०सं० प्रस्तुत किया। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र उपरोक्त पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन कर आदेश दिनाँकित 18.12.2025 पारित करते हुए आवेदक के उपरोक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा इस निगरानी न्यायालय में योजित की गयी है।

3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मेमो में उल्लिखित आधारों पर बल देते हुए तर्क किया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 18.12.2025 विधि विरूद्ध है। विपक्षी सं०–2 सुधीर कुमार व लेखक द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर बेईमानी की नीयत से लाभ प्राप्त किया गया है और विशेषज्ञ की राय में प्रथम–दृष्टया कूटरचित हस्ताक्षर पाया गया है। उक्त तथ्यों पर विद्वान अवर न्यायालय ने ध्यान न देकर विधिक भूल की है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखों से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना स्पष्ट परिलक्षित है। अवर न्यायालय ने गुणदोष पर अंतिम निष्कर्ष अवधारित करते हुए प्रार्थनापत्र को त्रुटिपूर्ण ढंग से निरस्त कर दिया है। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है और सरसरी तौर पर तकनीकी ढंग से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की गयी है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार है। उपरोक्त आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने दाण्डिक निगरानी को स्वीकार किए जाने और आलोच्य आदेश को निरस्त किए जाने की याचना की है।

4. इसके विपरीत विपक्षी सं०–1 उ०प्र० सरकार की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं विपक्षी सं० 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी का विरोध किया एवं तर्क किया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है। विद्वान अवर न्यायालय ने विधिक प्राविधानों के अंतर्गत पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश व अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर मात्र यह विचारित करना अपेक्षित है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमतिता, अशुद्धता अथवा विधि की कोई त्रुटि कारित की गयी है अथवा नहीं। निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित होता है और इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

7. प्रस्तुत मामले में आलोच्य आदेश दिनाँकित 18.12.2025 के द्वारा अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया है कि निगरानीकर्ता/आवेदक विवादित विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। विद्वान अवर न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर निगरानीकर्ता/आवेदक के कथनों को विश्वसनीय नहीं पाया और तदनुसार मामले में विवाद को सिविल प्रकृति का होना मानते हुए किसी भी संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं पाया और प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त कर दिया।

8. यह उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के प्राविधानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 173(4) के रूप में पुनः शामिल किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रार्थनापत्र के अभिकथनों से यदि संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है, तो न्यायालय उपयुक्त परिस्थितियों में अन्वेषण किए जाने सम्बन्धी आदेश पारित कर सकती है और यदि ऐसी स्थिति नहीं पायी जाती है, तो प्रार्थनापत्र के निरस्तीकरण का आदेश भी पारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय को प्रतिपादित सिद्धान्तों के तहत उक्त प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में भी दर्ज किए जाने का विकल्प है। प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्राप्त होने पर समस्त परिस्थितियों का सम्यक व तथ्यात्मक रूप से अवलोकन के उपरान्त न्यायालय उपरोक्त वर्णित तीनों आदेशों में से एक आदेश पारित कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि निर्णयों के माध्यम से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट यदि यह पाता है कि प्रार्थनापत्र में दर्शाए गए आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं, तो वह प्रार्थनापत्र निरस्त कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि निर्णय **"सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008 क्रि०लॉ० ज० 472"** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 156(3) द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट अन्वेषण कराए जाने हेतु आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। इसी सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"प्रियन्का श्रीवास्तव व एक**

अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य, 2015 (6) सुप्रीम कोर्ट केसेज 287" के मामले में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित एवं अवधारित किया गया है कि :-

> "it needs to be reiterated that learned Magistrate has to remain vigilant with regard to the allegations made and the nature of allegations and not to issue directions without proper application of mind. He has also bear in mind that sending the matter would be conducive to justice and then he may pass the requisite order.
>
> At this stage, it is seemly to state that power U/s 156 (3) Cr.P.C. warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of Section 154 of Code. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the Magistrate. A principled and really grieved citizen with clean hands must have free access to invoke the said power. It protects the citizens but when pervert litigations takes this route to harass their fellow citizens, efforts are to be made to scuttle and curb the same."

9. उपरोक्त आशय की ही अवधारणा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विधि निर्णय **"अजहर हसनैन बनाम स्टेट आफ यू०पी०, 2025:ए०एच०सी०:91289"** एवं **"रामसेवक रावत बनाम स्टेट आफ यू०पी०, 2024:ए०एच०सी०-लखनउ:78323"** में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विधिक दृष्टान्तों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि किसी मामले में विवेचना का आदेश पारित करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर आधारित है और इसका प्रयोग मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए।

10. प्रस्तुत मामले में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निगरानीकर्ता/आवेदक ने विपक्षी सुधीर कुमार के विरूद्ध मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसने जालसाजी व धोखाधड़ी करके विवादित भूमि का बिना विक्रय मूल्य अदा किए विक्रयपत्र दिनाँकित 15.10.2015 निष्पादित करवा लिया है और उक्त विलेख में निगरानीकर्ता/आवेदक का फर्जी व कूटरचित निशानी अंगूठा बतौर गवाह बनाकर कूटरचना कारित किया है। उक्त आधार पर निगरानीकर्ता/आवेदक का आरोप है कि विपक्षी ने धोखाधड़ी, छल, जालसाजी व कूटरचना कारित करने का अपराध किया है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए प्रार्थनापत्र धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकृत कर विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर मामले की विवेचना होनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में प्रार्थनापत्र के उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य विवादित सम्पत्ति के बावत विक्रयपत्र के निष्पादन का विवाद है। निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र के आरोपों के सन्दर्भ में विवादित निशानी अंगूठे के बावत विशेषज्ञ की जाँच आख्या पत्रावलित किया गया है, किन्तु उक्त प्रलेख मात्र के आधार पर यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि किसी पक्षकार द्वारा कोई जालसाजी या छल कपट या कूटरचना कारित किया गया हो। उक्त जाँच प्रपत्र निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं की ओर से मामले में कराए गए जाँच परीक्षण के आधार पर प्रस्तुत प्रपत्र है, जिसकी प्रमाणिकता एवं वैधता को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मामले में विवादित निशानी अंगूठे के कूटरचित

होने के बावत इस स्तर पर किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में कथित जालसाजी, छल, धोखाधड़ी या कूटरचना के सन्दर्भ में निगरानीकर्ता के मौखिक कथन मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना मानकर विवेचना का आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में प्रथमदृष्टया यही परिलक्षित होता है कि पक्षों के मध्य विवाद मुख्यतः विक्रयपत्र के निष्पादन एवं उससे सम्बन्धित भूमियों के स्वामित्व व कब्जे का है, जो कि पूर्णतया सिविल प्रकृति का विवाद है और उसका उपचार सिविल न्यायालय से प्राप्त हो सकता है। प्रार्थनापत्र के उपरोक्त तथ्यों से मामले में कोई आपराधिक तत्व या कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यही अवधारणा विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में भी व्यक्त किया है।

11. विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जहाँ मामले में विवाद मुख्य रूप से सिविल प्रकृति का हो, वहाँ केवलमात्र अभिकथनों के आधार पर किसी के विरूद्ध आपराधिक वाद अग्रसारित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में आपराधिक वाद अग्रसारित करना विधिक प्रक्रिया का केवल दुरूपयोग मात्र है। यही अवधारणा आलोच्य आदेश में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वर्णित किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में भी अवधारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि निर्णय **"एम०डी०इब्राहिम व अन्य बनाम बिहार राज्य, 2009 (67) ए०सी०सी० 679"**, के मामले में मत व्यक्त किया गया है कि केवल मात्र आरोप लगा देने कि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी या कूटरचना कारित किया है, यह नहीं माना जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। माननीय न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि न्यायालयों को ऐसे मामलों पर विचार करते समय सजग रहना चाहिए और इस बिंदु पर अवश्य विचार करना चाहिए कि कहीं पक्षकार द्वारा सिविल विवादों के निपटान के लिए दांडिक मामले को अग्रसारित न किया जा रहा हो। यही सिद्धान्त पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि निर्णयों **"वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट आफ केरला, (2015) 8 एस०सी०सी० 293", "रणधीर सिंह बनाम स्टेट आफ यू०पी०,(2021)14 एस० सी०सी० पेज 626", "सरबजीत कौर बनाम स्टेट आफ पंजाब, (2023) 5 एस०सी०सी० 360", "उषा चक्रवर्ती बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, 2023 एस०सी०सी० ऑनलाईन 90"** एवं **"नरेश कुमार बनाम स्टेट आफ कर्नाटक, 2024 आई०एन०एस०सी० 196"** के मामालों में भी स्पष्ट रूप से अवधारित एवं प्रतिपादित किया है। इसप्रकार प्रतिपादित उपरोक्त विधिक मतों के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग न किया हो और उनके द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता कारित की गयी हो।

12. इसप्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कोई अनियमतिता, अशुद्धता

अथवा अवैधानिकता कारित नहीं की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सन्तुष्टि के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। निगरानी में जो आधार लिए गए हैं, वे पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं और इस कारण निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी सं०–48/2026 निरस्त किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ वापस प्रेषित की जाए।

दिनाँकः 16.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

निर्णयादेश आज इस न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 16.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।